20रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.20 भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

(71)

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

पुनरीक्षण प्रकरण क्रमांक /2018 जिला–रीवा

निगरानी- 3780/2018/रीवा/भू.रा.

शिवकली सिंह पत्नी श्री राजबहोरन सिंह साकिन शाहपुर, तहसील त्यौंथर, जिला रीवा (म.प्र.)

-- आवेदक

विरूद्ध

श्री ... द्वारा आज दि० 19.6.18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 25.6.18 नियत। क्लर्क ऑफ कोर्ट 19.6.18 राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

संगीता सिंह पत्नी श्री राजनारायण सिंह सकिन हनुमानगंज तहसील त्यौंथर जिला रीवा हाल मुकाम बजरंगपुरा, इन्दौर, जिला इन्दौर द्वारा – मुख्त्यारआम कमलराज सिंह पुत्र श्री जंगबहादुरसिंह, निवासी हनुमानगंज, तहसील त्यौंथर, जिला रीवा (म.प्र.)

-- अनावेदक

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी त्यौथर, जिला रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 147/अ6अ/2016–17 अपील में पारित आदेश दिनांक 08.06.2018 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण।

19/06/18

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह पुनरीक्षण निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

1– यहकि, अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी त्यौथर, जिला रीवा का आदेश दिनांक 08.06.2018 अवैध अनुचित एवं विधि के उपबन्धों के प्रतिकूल होने से अपास्त किये जाने योग्य है।

2– यहकि, आवेदक द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष एक आवेदन पत्र इस आशय से प्रस्तुत किया था कि उसके द्वारा भूमि का विक्रय कर दिया गया है, इसलिए सीमांकन एवं तरमीम की कार्यवाही की जायें। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्रमांक 274/अ6अ6/2007–08 पंजीबद्ध कर कार्यवाही प्रारंभ की गयी एवं उभयपक्षों को सुनवाई का विधिवत अवसर प्रदान कर स्थल पंचनामा तैयार कर आदेश दिनांक 26.04.2011 पारित किया गया। तहसील न्यायालय द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही एवं पंचनामा तथा आक्षेपित आदेश की फोटो प्रति माननीय न्यायालय के अवलोनार्थ हेतु प्रस्तुत है। उपरोक्त आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी के

शिवकली

XXIX(a)-BR(H)-11

75

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - R-3780/18/रीवा/भू.रा. जिला - रीवा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13/8/19	आवेदक की ओर से यह निगरानी......S.D.O.............. त्योंथर.....के प्रकरण क्रमांक ......[illegible]...... में पारित आदेश दिनांक ....8.6.18.... के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत यह प्रकरण सुनवाई हेतु ....कलेक्टर रीवा......... को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक....18.10.19.....को ....कलेक्टर रीवा............. के समक्ष उपस्थित हों। (महेश चन्द्र चौधरी) सदस्य	